जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

मनरेगा अन्तर्गत विभिन्न पद पर नियुक्ति हेतु

।। आवश्यक सूचना ।।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना संख्या–4–1002 (MGNERAGA) /2012/ग्रा0वि0 के ज्ञापांक 6440/दिनांक 17.07.2012 एवं ज्ञापांक 6718/ दिनांक 28.07.2012 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण अभिकरण, गोड्डा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/ तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/ लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद की स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत पद के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार अनारक्षित/ आरक्षित रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्णतया संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–14/ स्थानीय नीति–14–04/2008 का. 3854/ राँची, दिनांक 01.06.18 के द्वारा परिभाषित स्थानीयता नीति के आधार पर वर्ग–02 के लिये झारखण्ड एवं वर्ग–03 के लिये जिले के स्थानीय निवासियों को नियुक्त करने संबंधी निदेश प्राप्त है ।

इस पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी । नियुक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना का प्रकाशन अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेवसाईट ***www.godda.nic.in*** पर प्रकाशित किया गया है ।

ऑनलाईन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा । आवेदक द्वारा दिनांक ***30.08.2018*** से दिनांक ***15.09.2018*** के अपराह्न *05:00* बजे तक वेबसाईट ***http://www.applyrdd.jharkhand.gov.in*** पर ऑन लाईन आवेदन किया जायेगा । आवेदन शुल्क की राशि मो0 100/– रु0 है, जो ऑनलाईन भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

नोट *:–* **दिशा–निर्देश के आलोक में निकाले गये विज्ञापन के अनुसार ही अभ्यर्थी अपना आवेदन करेंगे ।**

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा ।